

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी - श्री श्याम सुन्दर चेतोवाल (आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या- 12/17/2025

जीररीएमएस- 2025/263

दायर दिनांक- 02/07/2025

निर्णय दिनांक- 04/09/2025

केशवदेव पुत्र रत्तीराम जाति जाट निवासी शेखपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बेरका जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बेरका पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर।
..... असल रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07.01.2025 विरासत इन्तकाल संख्या 870
ग्राम शेखपुरा ग्रा. पं. बेरका अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,
1956

उपस्थिति-1.श्री सत्येन्द्र चौधरी अधिवक्ता अपीलाण्टस

—:: निर्णय ::—

संदेह में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 269, 271, 272, 274, 284, 285, 287, 338, में 1/48 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 224, 230, 3231, 235/452, 236, 237, 407, 408, 250, 251, 264, 265, 266, 268, 273, में 11/144 हिस्सा वाके ग्राम शेखपुरा ग्राम पंचायत बेरका तहसील कठूमर में स्थित है, जो अपीलाण्ट मुताबिक जमाबन्दी अपीलाण्ट के पिता रत्तीराम जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी थी अपीलाण्टस के पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे। अपीलाण्ट के पिता रत्तीराम के स्वर्गवास के बाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के वारिस के नाम की जांच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 870 वाके ग्राम शेखपुरा तरदीक किया है, जबकि अपीलाण्टस का नाम केशवदेव के स्थान पर केशवदेव अंकित कर दिया। जिस गलत इंतकाल को कानूनमो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जांच किये बिना ही दिनांक 07.01.2025 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 07.01.2025 को रेस्पोंडेंट सरपंच ग्राम पंचायत कठूमर के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) जिला

वास्तो स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलान्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जाँच किये बिना पटवारी के दस्तावेज लिये बिना ही नैरकानूनी ढंग से अपीलान्ट का नाम केशवदेव के स्थान पर केशरदेव के नाम से स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 870 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.06.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 870 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एव अपीलान्ट को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 870 दिनांक 07.01.2025 वाके शेखपुरा ग्राम पंचायत केरका तहसील कटूमर, अलावर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 870 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.06.2025 को पटवारी हल्का के पास प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि फार्म पर पटवारी हल्का के हरताक्षर कराने गया तब पटवारी हल्का ने राजस्व रेकॉर्ड देखने के दौरान एव रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 870 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रुख अपनाया है। हरतगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रुख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेसपोडेंट दिनांक 19.08.2025 को वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलान्टस के द्वारा अपने पत्रावली के साथ नकल जामावन्दी संवत् 2076 से 2079 व फॉटा प्रति राशनकार्ड, फॉटो प्रति आधारकार्ड, फॉटो प्रति जनआधारकार्ड व नकल इन्तकाल संख्या 870 वाके ग्राम शेखपुरा पेश किये है जो शामिल पत्रावली किये गये है।

अपीलान्टस अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। दौरान बहस सर्वप्रथम उक्त इन्तकाल संख्या 870 के बारे में जानकारी दिनांक 25.06.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1355 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अपीलान्ट के पिता रत्तीराम के स्वर्गवास के बाद पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के वारिस के नाम की जाँच किये बिना ही बिना अपीलान्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 870 वाके ग्राम शेखपुरा तस्दीक किया है, जबकि अपीलान्टस का नाम केशवदेव के स्थान पर केशरदेव अंकित कर दिया। जिस गलत इन्तकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलान्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जाँच किये बिना ही दिनांक 07.01.2025 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 07.01.2025 को रेसपोडेंट सरपंच ग्राम पंचायत कटूमर के समक्ष वास्तो स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने

उपरोक्त अधिकारी
नरम (नरमी) राजो

दिना बुलाये अपीलान्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जॉन किये बिना पहचान के दस्तावेज लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलान्ट का नाम केशवदेव के स्थान पर केशरदेव के नाम से रवीकार कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध तरीके से सरदीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 870 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.06.2025 को पटवारी वेरका के पास जाने तथा रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 870 को नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 30.08.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलान्ट को बिना सुने बिना बुलाये सरदीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 870 दिनांक 07.01.2025 वाले शेखपुरा ग्राम पंचायत वेरका तहसील कटूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलान्टस अभिभाषक की बहस पर गमन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 870 दिनांक 07.01.2025 वाले शेखपुरा ग्राम पंचायत वेरका तहसील कटूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

--:आदेश:-

अतः अपीलान्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत वेरका स्वीकृत इन्तकाल संख्या 870 दिनांक 07.01.2025 वाले ग्राम शेखपुरा ग्राम पंचायत वेरका को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कटूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकगील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सारे-इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतोपाल (कार्यवाही)
उपखण्ड अधिकारी-कटूमर, अलवर